न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्याः–43/2018 (18 आयुध अधिनियम 1959)

जगन्नाथ पुत्र श्री मूंगाराम जाति कुशवाह निवासी ग्राम फूलपुरा पुलिस थाना सैंपऊ जिला धौलपुर ।

.....अपीलान्ट

बनाम

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम 1959 विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 3.7.2017

उपस्थितिः–

1. श्री दिलीप सिंह वकील अपीलान्ट।
2. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांकः 08.03.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 3.7.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अनुज्ञाधारी का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था। अपीलान्ट ने आगामी वर्षों के लिये नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 19.12.2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस संबध में कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट ली गई । जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक ह–1 ( )

धौल0/आर्म्स/16/240 दिनांक 10.1.2017 पेश की, जिसमें अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंसा की है। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.7.2017 पारित करते हुये अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 2/92 को निरस्त कर पुलिस थाना सैंपऊ को मूल अनुज्ञापत्र जप्त करने के आदेश प्रदान किये गये है । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिले मंसूखी है। यह कि अपीलान्ट को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 2/92 जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा विधिवत रूप से जारी किया गया है जो काफी पुराना है । जिसे अपीलान्ट नियमित नवीनीकृत कराता रहा है। अनुज्ञापत्र जारी होने के दिनांक से आज दिनांक तक अपीलान्ट द्वारा अनुज्ञापत्र की समस्त शर्तों की नियमानुसार पालना की गई है। कभी भी शस्त्र का दुरूपयोग भी नहीं किया है। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था जिसको आगामी वर्षों के लिये नवीनीकृत कराने हेतु नियमानुसार समयावधि में प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2016 को प्रस्तुत कर दिया गया था, किन्तु तहत अदालत ने जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 10.1.2017 के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट के विरूद्ध मु0नं0 96/2000 धारा 147,323,341,336,325 ता0हि0 में चार्जशीट नं0 65/2000 दिनांक 20.6.2000 न्यायालय एमजेएम धौलपुर पेश किया जाना और उसके पश्चात न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.6.2004 द्वारा एक साल का कारावास व 2000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना बताया गया है जो गलत है जबकि अपीलान्ट को न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दोषसिद्ध कर उसे कारावास के दण्ड से दण्डित नहीं किया गया था बल्कि उसे प्रोवेशन का लाभ देकर बरी किया गया था। तहत अदालत ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर–अंदाज करके अहम कानूनी भूल की है कि माननीय न्यायालय एमजेएम धौलपुर के निर्णय दिनांक 30.6.2004 में अपीलान्ट को परिवीक्षा का लाभ दिया जाकर बरी किया गया था। इसके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 10.1.2017 में भी अपीलान्ट के विरूद्ध कोई तथ्यात्मक प्रतिकूल टिप्पणी नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की गई है बल्कि रिपोर्ट में स्वयं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने बिन्दु संख्या–1 व 2 में यह स्पष्ट अंकित किया है कि अपीलान्ट द्वारा इस अवधि में शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट की इस अवधि में आपराधिक पृष्ठभूमि भी शून्य रही है। इसके अलावा अपीलान्ट के चाल–चलन के संबध में भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमवर्ग धौलपुर द्वारा भी निर्णय दिनांक 30.6.2004 के अन्तिम पेज के प्रथम पैरा में यह स्पष्ट किया है कि ''.....मैंने सजा के प्रश्न पर तर्क सुने पत्रावली का अवलोकन किया । अभियुक्तगण का पूर्व कोई अपराध हमारे समक्ष प्रमाणित नहीं है । इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में भी पिछले चार वर्ष से अन्वीक्षा भुगत रहे है इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये मैं अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर छोडना उचित समझता हूँ।..... '' बाबजूद इसके तहत अदालत ने बिना कोई जांच किये, अपीलाधीन आदेश पारित करते हुये अपीलान्ट के नियमानुसार जारी अनुज्ञापत्र संख्या 2/92 को निरस्त कर दिया गया है जो कतई न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट एक शांतिप्रिय सामाजिक व्यक्ति है। जिसने कभी भी अपने शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया है न ही भविष्य में कोई मंशा रखता है। अपीलान्ट ग्राम फूलपुरा, तहसील सैपऊ का निवासी है यह क्षेत्र डकैती बाहुल्य क्षेत्र है इसलिऐ अपीलान्ट ने तो केवल अपने परिवार एवं आत्मरक्षा के लिये अनुज्ञापत्र ले रखा है अपीलान्ट एक घर गृहस्थी के साथ सामाजिक जीवन यापन कर रहा है यदि अपीलान्ट की पृष्ठभूमि आपराधिक होती तो आये दिन थाना हाजा पर मुकदमें दर्ज होते लेकिन ऐसा कतई नहीं है अपीलान्ट की नेक चलनी प्रवृति जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 10.1.17 के बिन्दु संख्या 1 व 2 तथा माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमवर्ग धौलपुर के निर्णय दिनांक 30.6.2004 के अन्तिम पेज के प्रथम पैरा से स्पष्ट हो जाती है। उपर्युक्त तमाम तथ्यों को नजर–अंदाज कर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्याय संगत नहीं है जिससे अपीलान्ट को सख्त हक–तलफी पैदा हो गई है। चूंकि अपीलधीन आदेश न्याय, नियम, रिकार्ड, तथ्यों से परे अपीलान्ट की बैक पर पारित किया गया था जिसका इल्म होते ही अपीलान्ट ने नकल के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 26.2.2018 को प्राप्त हुई। अतः तारीख जानकारी से अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किया जावे जिसके लिये पृथक से प्रार्थना पत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दफा–5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र संलग्न किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन निर्णय दिनांक 3.7.2017 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कराये जाने के आदेश दिये जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा अदालत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.7.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र संख्या 2/92 दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था। जिसको नवीनीकृत किये जाने की कार्यवाही के दौरान जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट दिनांक 10.1.2017 प्राप्त की गई तो जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट के मध्यम से यह स्पष्ट किया कि शस्त्र धारक/अपीलान्ट के विरूद्ध थाना हाजा में मु0नु0 96/2000 धारा 147,323,341,336,325 आईपीसी चार्जशीट नं0 65/2000 दिनांक 20.6.2000 किता कर अदालत एमजेएम सा0 धौलपुर में पेश किया गया तथा निर्णय दिनांक 30.6.2004 द्वारा एक साल का कारावास व 2000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं न्यायालय द्वारा दी गई सजा के आधार पर अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किया जावे। जिसके आधार पर बाद परीक्षण ही तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है। इसके अलावा अपीलान्ट का यह कहना कि सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया गलत है क्यों कि तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को नियमानुसार नोटिस अंतर्गत धारा 17(3) आर्म्स एक्ट 1959 जारी किया गया है और अपीलान्ट की ओर से जबाब भी प्राप्त किया गया है जो पत्रावली पर मौजूद है। प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से दो बार रिपोर्ट क्रमशः दिनांक 10.1.2017 व 17.5.2017 प्राप्त की गई दोनों रिपोर्टों में अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई है। संदिग्ध आचारण वाला व्यक्ति शस्त्र धारण हेतु पात्र नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुये तथा शस्त्र के दुरूपयोग की संभावना तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखने के दृष्टिगत तहत अदालत द्वारा बखूबी न्यायसंगत आदेश पारित किया गया है जो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उचित है। इसके अलावा यह अपील मियाद बिन्दु पर भी खारिज योग्य रहती है क्यों कि अपीलान्ट ने कोई तथ्यात्मक कारण अपने दफा–5 प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये गये है। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज करते हुये तहत अदालत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर का आदेश दिनांक 3.7.2017 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र नियमानुसार दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था, जिसे आगामी वर्षों के लिये नवीनीकरण कराने हेतु दिनांक 19.12.2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा दौराने नवीनकरण कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट कमांक 10.1.2017 प्राप्त की गई। तहत अदालत द्वारा संभवतः स्वयं की ओर से कोई जांच न करते हुये उक्त रिपोर्ट में अंकित मु0सं0 96/2000 का हवला देते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। हमारी विनम्र राय में एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन महत्वपूर्ण होता है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने भी अपनी रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 व 2 में यह स्पष्ट किया है कि अपीलान्ट द्वारा इस अवधि में शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट की इस अवधि में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आपराधिक पृष्ठभूमि भी शून्य रही है। इसके अलावा अपीलान्ट के चाल–चलन के संबध में भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमवर्ग धौलपुर द्वारा भी निर्णय दिनांक 30.6.2004 के अन्तिम पेज के प्रथम पैरा में यह विवेचना की गई है कि अभियुक्तगण का पूर्व कोई अपराध प्रमाणित नहीं है । इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में भी पिछले चार वर्ष से अन्वीक्षा भुगत रहे है इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर छोडना उचित माना गया है। इसके अलावा सहायक लोक अभियोजक की ओर से भी ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह माना जा सके कि इस निर्णित प्रकरण के अलावा (जो अपीलान्ट के हक में परिवीक्षा का लाभ दिया जाकर निर्णित किया जा चुका है) कोई अन्य प्रकरण अपीलान्ट के विरूद्ध दायर हुआ हो अथवा विचाराधीन हो। यह प्रकरण भी सक्षम अदालत द्वारा दिनांक 30.6.2004 को निर्णत किया जा चुका है जिसमें अपीलान्ट को परिवीक्षा का लाभ दिया जाकर छोडा गया है। तहत अदालत ने इस निर्णित प्रकरण को दौराने नवीनीकरण कार्यवाही अपने निर्णय दिनांक 3.7.2017 में लगभग 13 बर्षो के बाद आधार बनाया गया है जो उचित नहीं रहता है। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलान्ट के विरूद्ध नवीनीकरण के समय कोई प्रकरण दर्ज नही है। इसके बाबजूद नवीनीकरण क्यों नही किया जा सकता ? तहत अदालत द्वारा इसका विवेचन भी अपने निर्णय में नही किया है और न ही जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट में इस बाबत कोई विवेचना की गई है। तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश के अन्तिम पैरा में अपीलान्ट का आचरण संदिग्ध मानकर कानून व्यवस्था एवं लोकशांति का हवाला देते हुये अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिया गया है जबकि सक्षम अदालत में अपीलान्ट को परिवीक्षा का लाभ दिया जाकर छोडा गया है तथा उनके द्वारा अपीलान्ट का पूर्व कोई अपराध प्रमाणित नहीं माना है साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया है कि अपीलान्ट द्वारा इस अवधि में शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट की इस अवधि में आपराधिक पृष्ठभूमि भी शून्य रही है। बाबजूद इसके तहत अदालत ने अपीलान्ट के आचरण को संदिग्ध माना है। तहत अदालत द्वारा माने गये अपीलान्ट के आचरण संबधी शकशुवा की स्थिति को वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये स्पष्ट करने के लिये प्रकरण में हमारे ख्याल से अभी विस्तृत जांच किया जाना अपेक्षित रहता है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ताकि अपीलान्ट के चालचलन की स्थिति को स्पष्ट किया जा सके क्यों कि एक अनुज्ञाधारी का शस्त्रधारक बने रहने का मुख्य आधार उसका नेक चाल–चलन ही मायने रखता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को स्पीकिंग आर्डर की परिभाषा में नही मानते हुऐ पुनः निर्णय के लिये रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.7.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देकर तथ्यों एवं संभावनाओं के परस्पर विरोधाभास को दूर करते हुये पुनः तार्किक एवं न्याय संगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 08.03.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official